अनुबंध

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बाह्य
वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्टिंग
(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह _____ की विवरणी

1. यह विवरणी ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरी जानी चाहिए। इसे माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कृपया कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने "लागू नहीं" लिखें।
3. सभी तिथियां ववववव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए (जैसे 21 अप्रैल 2014 के लिए 2014/04/21 ।
4. विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई)/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं आदि के जरिए उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विवरणी सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही है।
6. 1 फरवरी 2004 के बाद अनुमोदित सभी ऋणों के मामले में ऋण पंजीकरण संख्या दी जाए। उससे पहले लिए गए ऋणों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित ऋण पहचान संख्या (LIN)/ पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. भाग-"सी" (उपयोग) में निम्नलिखित प्रयोजन कूट/कूटों का प्रयोग किया जाए।

कूट	**विवरण**		**कूट**	**विवरण**
आईसी	पूंजी माल का आयात		पीटी	पोर्ट
आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात		आईएस	औद्योगिक पार्क
आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)		यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व (इंफ्रास्ट्रक्चर)
आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)		ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग		आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास

आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती		डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
आई पी	ब्याज भुगतान		टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
एचए	विदेश में धारित राशि		एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
एनपी	नई परियोजना		ओटी	अन्य (कृपया उल्लेख करें)
एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार		ईआर	खनन, खोज और रिफाइनिंग
पीडब्ल्यू	बिजली		सीएस	शीत गृह अथवा कोल्ड रूम सुविधा
टीएल	दूरसंचार		सीआई	निर्माण के दौरान ब्याज
आरडब्ल्यू	रेलवे		आरआर	रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
आरडी	रोड		आरबी	एफसीसीबी का मोचन/ प्रतिदान

9. भाग-"डी" (कर्ज की चुकौती) में निम्नलिखित कूट/कूटों का प्रयोग किया जाए।

कूट	**विवरण**
ए	भारत से विप्रेषण
बी	विदेशी में धारित खाता
सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

<u>भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे</u>

ऋण पंजीकरण सं.										

ऋण की राशि			उधारकर्ता के ब्योरे
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) संपर्ककर्ता व्यक्ति का नाम पदनाम फोन सं. फैक्स सं. ई-मेल आइडी :
करार के अनुसार			
संशोधित (कृपया उल्लेख करें यदि वितरण में चूक हुई हो/ रद्द हुआ हो/ भविष्य में आहरित न किया जाना हो)			

भाग बी : वितरण

बी.1: माह के दौरान (ऋण मुद्रा में) आहरण द्वारा कमी :

ब्योरा	दिनांक (ववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	बैंक/शाखा का नाम	खाता संख्या
ए. विदेश में रखी गई राशि					
बी. भारत विप्रेषित राशि				अपेक्षित नहीं	
टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए । 2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। 3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। 4. बहु करेंसी ऋण के मामले में विवरणी के साथ अलग से यह ब्लाक संलग्न किया जाए।					

बी. 2: भविष्य में आहरित किए जाने वाले ऋण की शेष राशि:

आहरण से कमी की संभावित तारीख	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तें हों तो	
			आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

भाग-"सी": उपयोग

सी.1. महीने के दौरान (केवल मूल राशि के) उपयोगार्थ आहरण द्वारा कमी के ब्योरे :

ब्योरा	दिनांक	प्रयोजन कूट*	मुद्रा	राशि	देश	बैंक का नाम	खाता संख्या
विदेश में रखी राशि से							
भारत में विप्रेषित राशि से						अपेक्षित नहीं	
*पृष्ठ 1 पर मद (नोट) 8 में दिए गए कूट के अनुसार							

सी.2: विदेश में रखी गई (केवल मूल राशि की) बकाया शेष राशि :

ब्योरा	दिनांक	मुद्रा	राशि	बैंक और शाखा का नाम	खाता संख्या
माह के अंत में					

भाग-"डी": ऋण का भुगतान

डी.1: माह के दौरान मूल राशि की अदायगी, ब्याज की अदायगी, आदि

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण के स्रोत का कोड*	मूल राशि की समय-पूर्व चुकौती (हाँ/ना)#
	मूल राशि की अदायगी@					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (उल्लेख करें)					
*पृष्ठ 1 पर मद (नोट) 9 में दिए गए कूट के अनुसार । # समय-पूर्व भुगतान के मामले में अनुबंध के अनुसार स्वतःअनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं. , दिनांक, राशि के ब्योरे दें। @ एफसीसीबी/ईसीबी के ईक्विटी में परिवर्तन, एफसीसीबी के बायबैक/ मोचन अथवा ईसीबी मूल राशि को बट्टे खाते डालने संबंधी लेनदेनों को, अब भी, उचित टिप्पणी के साथ मूल राशि की अदायगी मद के समक्ष दर्शाएं।						

डी.2: मूल राशि की परिशोधित चुकौती अनुसूची (अगर परिशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक(ववववव/ माह माह/दिदि (प्रथम अदायगी का दिनांक	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में ऋण-करेंसी में राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तें हों तो		वार्षिकी दर (यदि वार्षिकी भुगतान हो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं. (1,2,3,4,6,12)	

भाग-ई: अन्य

ई.1: संविदागत वित्तीय हेजों (यदि कोई हों) का ब्योरा :

ब्योरा	प्रकार	करेंसी स्वैप	वायदा	आप्शन	अन्य	कुल राशि	ब्याज दर स्वैप
मूल	विमु-रुपया						
	विमु-विमु						
कूपन	विमु-रुपया						
	विमु-विमु						

विमु=विदेशी मुद्रा

ई.2: विदेशी मुद्रा अर्जन/आय और व्यय(यदि कोई हो) के ब्योरे:

विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत वार्षिक राशि (लगभग) (जो किसी एक विदेशी मुद्रा में रिपोर्ट की जानी है):

वित्तीय वर्ष	मुद्रा	विदेशी मुद्रा अर्जन	विदेशी मुद्रा व्यय

भाग - एफ: बकाया मूल राशि

बकाया ऋण राशि {ऋण की मुद्रा (करेंसी) में}:

(अर्थात, महीने के अंत में आहरण द्वारा कुल कमी में से माह के अंत तक की गई कुल चुकौती घटाएं):

मुद्रा _____ ☐ ☐ ☐ राशि: _____

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं । कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _____मुहर

_____

दिनांक : _____ उधारकर्ता कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम :----------

टेलीफोन नं.:----------

<u>कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र</u>

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में विधिवत - हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय का _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार की शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार हैं और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

_____

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर)

[मुहर]

स्थान : _____

नामः _____

दिनांक : _____

पदनाम:_____

टेलीफोन नं.----------

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता:

ई-मेल आईडी: